

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1973/पीथ 29, 1894

No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1973/PAUSA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 19th January 1973

S.O. 33(E)/73.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)/18A/IDRA/72, dated the 25th November, 1972, namely:—

In the said Order, under the heading “Members”, for serial No. 3 and the entry relating thereto, the following serial number shall be substituted, namely:—

“3. Shri S. K. Chakravarty, Manager (Technical), Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, 19 Netaji Subhas Road Calcutta-1”.

[No. 25(26)/72-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आवेष

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

क्र.सं. 38 (अ)/73—औद्योगिक (विकास और नियंत्रण) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आवेष सं. क्र.सं. 725(ई) 18क/आई.डी.आर.ए. 72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त प्रादेश में, “सदस्य” शीर्षक के अन्तर्गत, क्रम सं. 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. श्री एस. के. चक्रवर्ती,

प्रबन्धक (तकनीकी), भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड,
19—नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 1”।

[सं. फा. 25(26)/72-सी. यू. सी.]

दिनेश किशोर सक्सेना, संपुष्ट सचिव ।